न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:– उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस

अपील सं. 22/2022
सरदूल सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व), संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सुरजभान जाति जाट निवासी नगराना तह0 संगरिया।
3. राय सिंह पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तह0 संगरिया।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 27.04.2022, क्रमांक राजस्व/2022/160, तहसीलदार, भू.अ. संगरिया, प्रार्थना पत्र सुरेन्द्र कुमार स्वीकार किया गया, वास्ते करने मन्सुख उपरोक्त निर्णय दिनांक 27.04.2022 व स्वीकार किये जाने अपील

उपस्थितः– 1. श्री महेन्द्र सिंह सन्धू अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री राजेन्द्र भुंवाल अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 02, 03
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

–:निर्णय:–

दिनांकः –30.07.2024

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सुरेन्द्र कुमार द्वारा एक प्रार्थना पत्र चक 13 एमकेएस के पत्थर नम्बर 177 / 233 (20) व पत्थर नम्बर 177 / 234 (21) के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में दर्ज स्वीकृतशुदा रास्ते को खुलवाने बाबत प्रस्तुत किया जिसमें पटवारी हल्का द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई तथा आदेश दिनांक 27.04.2022 में उक्त मुरब्बा नम्बर 20 व 21 में रास्ता खुलवाने का आदेश पारित किया, जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा पत्थर नम्बर 177/233 से पत्थर नम्बर 177/236 में रास्ता खुलवाने का गलत अंकन दैनिक डायरी में किया गया, जिसे अपीलान्ट निम्न आधारो पर चुनौती देता है।

विचारणीय न्यायालय ने अपीलान्ट को कभी कोई सम्मन/नोटिस प्रेषित नही किया गया तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित होने के कारण काबिल खारिजी है। अपीलान्ट के नाम चक 13 एमकेएस पत्थर नम्बर 177/236 मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 5, 6, 15 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिनमें राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन खाला दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन खाला के होते हुए पटवारी द्वारा विधि विरूद्व रूप से गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई इसलिए अधीनस्थ आदेश काबिल खारिजी है। प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार द्वारा पत्थर नम्बर 177/233 के मु0न0 20 व पत्थर नम्बर 177/234 के मु0न0 21 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता की आवश्यकता बताते हुए रास्ता खुलवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर पटवारी हल्का अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पत्थर नम्बर 177/235 व 177/236 बाद रिपोर्ट रिकार्ड से बाहर की पेश की, जबकि पत्थर नम्बर 177/236 मु0नं0 27 के किला नम्बर 5, 6, 15 में राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन खाला दर्ज है। चक 13 एमकेएस के पत्थर नम्बर 177/233 से पत्थर नम्बर 177/236 तक रास्ता खुलवाने का इन्द्राज दैनिक डायरी से अपीलाधीन आदेश की पालना में किया हुआ है जबकि पत्थर नम्बर 177/235 व पत्थर नम्बर 177/236 बाबत किसी प्रकार का कोई आदेश पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.08.05 15:48:58 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

नहीं किया गया था। मौके पर उक्त दोनों मुरब्बों की समस्त आराजी पर काश्त की जा रही है तथा ना ही उक्त मुरबों में रास्ते बाबत किसी पक्ष द्वारा कोई अनुतोष याचित किया गया था, इन परिस्थितियों में मात्र दैनिक डायरी में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पटवारी हल्का द्वारा इन्द्राज किया गया, जो अपास्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में पत्थर नम्बर 177/236 के किला नम्बर 5 में पक्का कमरा व ट्यूबवैल की होदी बनी होने का अंकन किया है तथा अपीलान्ट की उक्त बीघा में पक्का कमरा व ट्यूबवैल मय होदी लगाया हुआ है, आज भी मौके पर प्रार्थी का कमरा व ट्यूबवेल मय होदी मौके पर बने हुये है तथा साथ में खाला चल रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार स्वीकार फरमाई जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स को तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट स0 02, 03 को प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 20 सपठित आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार कर दिनांक 05.09.2023 को पक्षकार बनाया गया। रेस्पोन्डेन्ट 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार, भू.अ. संगरिया के आदेश क्रमांक राजस्व/2022/160 दिनांक 27.04.2022 द्वारा प्रार्थना पत्र सुरेन्द्र कुमार स्वीकार किया गया, को अपास्त कर अपील अपीलांट स्वीकर फरमायी जावे। बहस के समर्थन में 2019 DNJ (Rev.) 262 Ramavtar Gurjar &Anr vs Anshul Bramhman. न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा कथन किये कि रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा तहसीलदार राजस्व संगरिया के यहां दिनांक 31.03.2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया व स्वीकृत शुदा सरकारी रास्ता खुलवाने के संबंध में निवेदन किया जिस पर तहसीलदार राजस्व संगरिया ने दिनांक 18.04.2022 को भू–अभिलेख निरीक्षक लीलांवाली व पटवारी हल्का शेरगढ से आवश्यक कार्यबाही करने हेतु व कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया जिस पर पटवारी शेरगढ द्वारा दिनांक 20.04.2022 को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर तहसीलदार राजस्व संगरिया द्वारा दिनांक 22.04.2022 को पटवारी हल्का से स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गई जिस पर दिनांक 26.04.2022 को पटवार हल्का ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर दिनांक 27.04.2022 को भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को रास्ता खुलवाने के लिए आक्षेपित आदेश दिनांक 27.04.2022 जारी किया। जिसके अनुसरण में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.05.2022 को मौका पर जाकर आदेश की पालना में पत्थर नंबर 177/233 से 177/236 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत रास्ता को चालू करवाया गया जिसकी दैनिक डायरी की प्रति प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा नजरी नक्शा चक 13 एमकेएस की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन किया कि पत्थर नंबर 177/233 से 177/237 तक मंजूर शुदा रास्ता है, जिसमें से अतिक्रमण हटाने के लिये राजस्व विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प. 13 (4) राज / ग्रुप–1 [illegible] अनुसरण में माननीय जिला कलैक्टर हनुमानगढ द्वारा क्रमांक एफ 12(1) ([illegible] 3202–3208 दिनांक 09.10. 2015 को सभी तहसीलदार को [illegible] जाकर रिपोर्ट भिजवाया जाना व इसके अलावा इसी आदेश के अनुसरण में पूर्व में प्रेषित पत्र के संदर्भ में माननीय जिला कलैक्टर हनुमानगढ द्वारा आदेश क्रमांक [illegible] 12(12)0राज/ 15/3579–85 दिनांक 17.12.2015 इस प्रकार के रास्तो पर कोई अतिक्रमण है तो उसे हटाने के लिये व आईन्दा अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में निर्देशित किया गया है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बताया कि उसे स्वीकृत व चालू रास्ता के संबंध में अतिक्रमण हटाने के लिये अलग से कोई आदेश पत्र देने की आवश्यकता नहीं थी व तहसीलदार द्वारा जो आदेश दिया गया है, वह विधिसम्मत है गैरमुमकिन रास्ता की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जाना कानूनी

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.08.05 15:48:58 IST
Reason: SelfAttested

रूप से सही नहीं है व ना ही इस प्रकार के अतिक्रमियों को किसी प्रकार का नोटिस देकर उपरोक्त निर्देशों के संबंध में सुनवाई की जानी आवश्यक नहीं है व अपीलाण्ट द्वारा जो नजीर 2019 DNJ (Rev.) 262 Ramavtar Gurjar &Anr vs Anshul Bramhman प्रस्तुत की गई है वह भी इस मामला में चस्पा नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली अवलोकन करने एवं उभयपक्षकारान की बहस के आधार पर निष्कर्ष निम्नवत है:-

1. इसके अलावा नजरी नक्शा चक 13 एमकेएस की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन किया कि पत्थर नंबर 177/233 से 177/237 तक मंजूर शुदा रास्ता है, जिसमें से अतिक्रमण हटाने के लिये राजस्व विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प. 13 (4) राज / ग्रुप-1 / 2015 दिनांक 08.10.2015 जिसके अनुसरण में माननीय जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ द्वारा क्रमांक एफ 12(1)( )राज/15/3202-3208 दिनांक 09.10.2015 को सभी तहसीलदार को इसकी पालना के संबंध में सर्वे करवाया जाकर रिपोर्ट भिजवाया जाना व इसके अलावा इसी आदेश के अनुसरण में पूर्व में प्रेषित पत्र के संदर्भ में माननीय जिला कलैक्टर हनुमानगढ द्वारा आदेश क्रमांक एफ 12(12)0राज/ 15/3579-85 दिनांक 17.12.2015 इस प्रकार के रास्तो पर कोई अतिक्रमण है तो उसे हटाने के लिये व आईन्दा अतिक्रमण नहीं होने के संबध में निर्देशित किया गया है।
2. राजस्व पटवारी प0ह0 शेरगढ द्वारा जारी नजरी नक्शा चक 13 एमकेएस तह0 संगरिया के अनुसार पत्थर नंबर 177/233 से 177/237 तक गै0मु0 रास्ता बताया गया है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के आदेश 27.04.2022 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.05.2022 को मौका पर जाकर आदेश की पालना में पत्थर नंबर 177/233 से 177/236 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत रास्ता को चालू करवाया गया जिसकी दैनिक डायरी की प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. अपीलाण्ट द्वारा जो नजीर 2019 DNJ (Rev.) 262 Ramavtar Gurjar &Anr vs Anshul Bramhman प्रस्तुत की गई है वह भी इस मामला में चस्पा नहीं होती है।
4. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय, हनुमानगढ की रिपोर्ट के अनुसार चक 13 एमकेएस में मु0नं 177/233 से 177/236 के कि0नं0 5,6,15,16,25 में जलमार्ग नहीं है तथा 178/235 के कि0नं0 1,10,11,20,21 में जलमार्ग स्वीकृत है।
5. रिपोर्ट पटवारी शेरगढ़ दिनांक 20.04.2022 के अनुसार मिसल बन्दोबस्त में चक 13 एमकेएस के प.न. 177/233 से 177/236 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में खाला नहीं होकर रास्ता रिकार्ड अनुसार है, जिसकी पुष्टि अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय, हनुमानगढ की संलग्न रिपोर्ट दिनांक 23.12.2021 व 29.03.2022 से होती है।
6. न्यायिक दृष्टांत "2001(3) CIVIL COURT CASES 82 (P&H) RAJINDAR KUMAR SAINI Vs MUNICIPAL COMMITTEE, HISSAR" में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि "सार्वजनिक संपत्ति का अतिकमी–किसी अतिकमी के कब्जे को चाहे यह कितना भी लंबा क्यों न हो, संरक्षित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट [illegible] के कारण खारिज की जाती है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा पारित [illegible] क्रमांक राजस्व/2022/160 दिनांक 27.04.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय [illegible] का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली [illegible]

निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.08.05 15:48:58 IST
Reason: SelfAttested

30/7/2024

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़